


छत्तीसगढ़ शासन,  
लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग,  
मंत्रालय,  
महानदी भवन, नया रायपुर.



क्रमांक एफ 8-4/2013/34-2/1892  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 31/7/2013

प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़ रायपुर।

**विषय:- राज्य में प्रोक्योरमेंट एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) लागू करना।**

- संदर्भ:-1. शासन का पत्र क्र.एफ 8-4/2013/34-2/1765 रायपुर, दिनांक 18.7.2013  
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर का पत्र क्र.243/वि/तन/चार/2013, दिनांक 6 जुलाई 2013 (प्राप्त पंजी क्र.1383 दिनांक 27.7.2013)

-00-

मुख्य सचिव, छ.ग.शासन के निर्देश पत्र क्रमांक 799/दिनांक 10.7.2013 आपकी ओर शासन के संदर्भित पत्र-1 से आपको प्रेषित किये गये हैं, जिसमें राज्य में प्रोक्योरमेंट एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) लागू करने के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये हैं। इसी की निरन्तरता में अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग के संदर्भित पत्र 2 द्वारा इस हेतु विस्तृत में निर्देश मिले हैं, जो आपकी ओर पालनार्थ प्रस्तुत है।

कृपया निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

सहपत्र:-उपरोक्तानुसार।

(गणेश शंकर मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग

रायपुर, दिनांक /7/2013

पृ.क्रमांक एफ 8-4/2013/34-2

प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव छ.ग.शासन, मंत्रालय रायपुर की ओर उनके पत्र क्र.799/मुस/2013/दिनांक 10.7.2013
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय की ओर उनके संदर्भित पत्र दिनांक 6.7.2013 (प्राप्त दिनांक 27.7.2013) के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, सचिव, छ.ग.शासन, लोक स्वा.यां. विभाग, मंत्रालय रायपुर।
4. मुख्य अभियंता, लोक स्वा.यां.विभाग, परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर।
5. अधीक्षण अभियंता, लो.स्वा.यां.विभाग मण्डल, रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/जगदलपुर/अंबिकापुर/वि-यां. मण्डल रायपुर।
6. कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.यां. खंड/वि-यां खंड जिला .....
7. संचालक, डब्ल्यू.एस.एस.ओ. रायपुर।
8. संचालक, सी.सी.डी.यू. रायपुर।
9. सहायक अभियंता (प्रभारी एम.आई.एस) कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वा.यां.विभाग, रायपुर की ओर वेबसाइट में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्र:-उपरोक्तानुसार। (क्र. 4,5,6,7,8 एवं 9 के लिये)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग

TS/AS/GS/ES/MIS/TSC/CCDU/Audit  
EE/SE(A)/SE(P)/SE(T)/CE(M)/E-in-C

TS/AS/GS/ES/MIS/TSC/CCDU/Audit

EE/SE(A)/SE(P)/SE(T)/CE(M)/E-in-C

